

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

रिपोर्ट पटवारी शुभा भू.अ. निरीक्षक रायपुर तहसील रायपुर

महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम अर्जुनगढ़ पंच. में शुभा जमाबंदी संवत् 2075 नं० 2078 में खाता सं. 88 में देऊ पति बालू कुमावत व लक्ष्मण पुत्र बालू कुमावत के हिसाबे भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर द्वारा रहन की गई है जबकि वर्तमान में उक्त बैंक शाखा S.B.B.I. का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का किया गया है।

अतः ग्राम अर्जुनगढ़ पंच. में शुभा जमाबंदी संवत् 2075 नं० 2078 में खाता सं. 88 में देऊ पति बालू कुमावत व लक्ष्मण पुत्र बालू कुमावत के हिसाबे पर रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर के बजाय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (S.B.I.) शाखा रायपुर रजि. किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर 10/11/20

शुभा 10/11/2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का शुभा व जोच भू.अ.नि. वृत्त रायपुर के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

10-11-21 तहसीलदार रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
क्रमांक:-प्र.गां.के सं./केम्प/2021/110/2(2021/300) दिनांक:- 10-11-2021

--:आदेश :-

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जोच रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ जमाबंदी संवत् 2075-78 खाता संख्या 88 स्वयं/शामलाती खाते में खातेदार/सहखातेदार देऊ पति बालू कुमावत व लक्ष्मण पुत्र बालू कुमावत के हिसाबे पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (S.B.I.) शाखा रायपुर के नाम अंकित है जिसके बजाय देऊ पति बालू कुमावत व लक्ष्मण पुत्र बालू कुमावत के हिसाबे पर रहन S.B.I. शाखा रायपुर शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे वास्ते तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



शुभा
10-11-2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाडा

